

**छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर**

// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक 27/12/2017

क्रमांक एफ 10-2/2013/16 :- राज्य शासन एतद्वारा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-2/2013/16, दिनांक 04/03/2013 को अधिक्रमित करते हुए, असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :-

(अ) योजना का प्रावधान :-

1. योजना का नाम "मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार इज्जत मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना" होगा।
2. योजना के अंतर्गत रेलगाड़ियों में 150 कि०मी० तक दैनिक यात्रा करने के लिये पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को इज्जत कार्ड मंडल द्वारा रेल्वे के सहयोग से प्रदाय किया जावेगा।
3. यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता :-

1. योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु असंगठित कर्मकारों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक होगा।
2. यदि हितग्राही राज्य शासन के किसी अन्य समानांतर योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

हितग्राहियों को किसी भी च्वाइस सेंटर, कम्प्यूटर सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय में जाकर वेबसाईट में दिये निर्देशानुसार ऑनलॉईन आवेदन करना होगा।

...2...

//2//

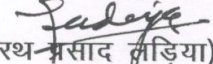
(द) स्वीकृति का अधिकार :-

योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को होगा।

(इ) विसंगति का निराकरण :-

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल को निर्णय अंतिम माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(तीरथ प्रसाद जड़िया)

अवर सचिव,

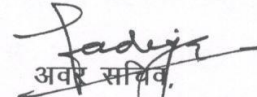
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

नया रायपुर, दिनांक 27/12/2017

पृष्ठांकन एफ 10-2/2013/16

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)।
4. अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
5. कलेक्टर जिला (छ0ग0)।
6. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)।
7. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय (छ0ग0)।
8. उप संचालक/प्रभारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (छ0ग0)।
9. नोडल अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
10. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड़, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. गार्ड फाईल।


अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग